

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अक्टूबर, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 अक्टूबर, 2022

वर्ष 66 | अंक 09 | भोपाल | 1 अक्टूबर, 2022 | पृष्ठ 20 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/-

यूरिया वितरण में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हो कड़ी कार्यवाही : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर में यूरिया आपूर्ति के संबंध में ली फॉलोअप बैठक

किसी भी जिले में किसी भी किसान को खाद की परेशानी नहीं होनी चाहिए

यूरिया वितरण में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तारियाँ जारी



ट्रांसपोटर द्वारिका गुप्ता, भोपाल निवासी जयप्रकाश सिंह और नोएडा के राजेन्द्र चौधरी के विरुद्ध एफआईआर की गई है। जयप्रकाश सिंह और राजेन्द्र चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है। जबलपुर के शुभम बिड़ला और नवीन झा से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही यूरिया बरामद करने के लिए विभिन्न गोडाउन पर छापेमारी की कार्यवाही भी जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कोई दोषी बचे नहीं। प्रकरण की वैज्ञानिक तरीके से छानबीन की जाए, साथ ही अनावश्यक किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी जिले में किसी भी किसान को खाद की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आवश्यक हो तो यूरिया की अग्रिम लिफ्टिंग की जाए। रबी फसल की आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त भंडारण किया जाए। ऐसी स्थिति कहीं निर्मित न हो कि किसानों को लाइन लगा कर या परेशान होकर खाद लेना पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर अशोकनगर से जिले में खाद की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की।

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जबलपुर क्षेत्र के किसानों के लिए भेजे गए यूरिया में से 70 प्रतिशत यूरिया शासकीय एजेंसियों और 30 प्रतिशत यूरिया निजी एजेंसियों से वितरित किए जाने के राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जो भी जिम्मेदार है

उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। दोषियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह के कार्यों में लिप्त होने का साहस न कर सके। जिन जिलों में यूरिया की आवश्यकता है, उनमें पर्याप्त

यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान जबलपुर में यूरिया खाद की आपूर्ति के संबंध में कल दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन फॉलोअप की बैठक ले रहे थे। निवास कार्यालय पर हुई बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि

श्री अजीत केसरी, संभागायुक्त जबलपुर श्री बी. चंद्रशेखर तथा जबलपुर पुलिस एवं जिला प्रशासन और मार्केटिंग के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान को जबलपुर संभागायुक्त ने जानकारी दी कि प्रकरण में दो स्तर पर कार्यवाही की गई है। अब तक तीन लोगों, बिलासपुर निवासी

पैक्स से सभी किसानों को मिलेगा उर्वरक, सहकारिता विभाग ने जारी किए निर्देश

इंदौर: प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से प्रदेश के सभी किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी कर दिए गये हैं। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा कृषकों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के हाल ही में दिए निर्देश के बाद सहकारिता विभाग ने की है। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के लिए कहा था। इसी संदर्भ में कल भोपाल में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किसानों की समस्याओं के संबंध में सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया और कृषि मंत्री श्री कमल पटेल से भेंट की थी।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पूर्व के बकाया ऋण को अदा नहीं करने से कृषक कालातीत ऋणी हो गये। यह किसान पिछली कांग्रेस सरकार के कर्ज माफी के वादे की उम्मीद में ऋण अदा नहीं किए और कांग्रेस सरकार ने इनका ऋण माफ नहीं किया जिससे यह किसान कालातीत ऋणी हो गये। कालातीत ऋणी कृषकों को पैक्स से ऋण और खाद-बीज मिलने की पात्रता भी नहीं रही। इसके साथ ही पैक्स को नगद में खाद-बीज विक्रय पर रोक है। किसानों को पैक्स से खाद-बीज प्राप्त करने के लिये पैक्स का सदस्य होना भी जरूरी है। किसानों के हित में निर्णय लेते हए पैक्स संस्थाओं को नगद में उर्वरक एवं बीज विक्रय करने का निर्णय लिया

गया है। इससे कालातीत ऋणी कृषक और जो पैक्स के सदस्य नहीं हैं, वे कृषक भी पैक्स से उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि उर्वरक का भण्डारण करने में आर्थिक रूप से कमजोर पैक्स को क्रेडिट पर 25 टन उर्वरक देने के निर्देश विपणन संघ को दिये गये हैं, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर पैक्स कृषकों को उर्वरक देने में सक्षम हो सकें। ऐसी प्रत्येक पैक्स को विपणन संघ द्वारा क्रेडिट पर 25 टन उर्वरक दिया जायेगा। यह पैक्स 25 टन उर्वरक के विक्रय से प्राप्त राशि से पुनः उर्वरक का क्रय करेंगी और किसानों को निर्बाध रूप से उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने देखी सोयाबीन फसल और मूंग उपार्जन केन्द्र का किया निरीक्षण



भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले में ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर किसानों से मुलाकात की उन्होंने ग्राम गाडरापुर में कृषक राजेश के खेत में सोयाबीन की फसल का अवलोकन किया। मंत्री श्री पटेल ने ग्राम सोनखेड़ी में मूंग उपार्जन केन्द्र श्रीराम वेयर-हाउस का निरीक्षण भी किया।

मंत्री श्री पटेल ने गाडरापुर में कृषक राजेश की फसल को देख कर प्रसन्नता व्यक्त की और खेती में परिश्रम करने के लिये बधाई और शुभकामनाएँ दी। श्री पटेल ने कहा कि आज भी कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। कृषक हमारे अन्नदाता और जीवनदाता हैं। (रोष पृष्ठ 34 पर)

किसानों का सुरक्षा कवच है फसल बीमा योजना : कृषि मंत्री श्री पटेल

"मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ" कार्यक्रम का किया सीहोर में शुभारंभ ● किसानों से की जैविक खेती अपनाने की अपील

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना से किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। पॉलिसी उनके पास होगी तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। यह बात उन्होंने सीहोर जिले में फसल बीमा के "मेरी पॉलिसी - मेरे हाथ" कार्यक्रम में कही। सीहोर में 29 हजार किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने किसानों से बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती अपनाने की अपील की।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के कल्याण और खेती के विकास के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश किसानों को बगैर ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने वाला देश का पहला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है। राज्य सरकार अन्नदाता किसानों के हर दुख-दर्द में साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हर संकट में साथ खड़ी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में वन ग्राम के किसानों को भी राजस्व ग्राम के किसानों की तरह ही लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चने की खरीदी पहले जून-जुलाई में होती थी, जिससे किसानों को फसल को कम दाम में बेचना पड़ता था, अब गेहूँ से पहले मार्च में चने की खरीदी का लाभ किसानों को मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों की एक दिन में खरीदी की सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल किया गया है। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था भी की गई है।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आज का दिन सीहोर के किसानों के लिए खास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

(पृष्ठ 1 का शेष)

कृषि मंत्री श्री पटेल ने देखी सोयाबीन

मंत्री श्री पटेल ने ग्राम सोनखेड़ी में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केन्द्र श्रीराम वेयर-हाउस का निरीक्षण कर किसानों के लिये किये गये प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने तुलाई व्यवस्था को भी देखा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों को उनके खून-पसीने की कमाई का पूरा वाजिव दाम देने के लिये सरकार कृत-संकल्पित है। उपस्थित किसानों ने उनके हित में किये जा रहे कार्यों के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री श्री पटेल का आभार व्यक्त किया गया।



के अंतर्गत "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" कार्यक्रम का जिले में शुभारंभ हुआ है। जिले के एक लाख 29 हजार किसानों ने फसल बीमा कराया है। इन सभी किसानों

को पॉलिसी अभियान चलाकर एवं गांव-गांव शिविर लगाकर उनके घर पर ही बीमा पॉलिसी उनके हाथ में पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। आरबीसी 6(4) के नियमों में किसानों के हित में जरूरी संशोधन कर नियमों को सरल बनाया

गया है और किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीहोर में वर्ष 2020 में दो लाख 73 हजार किसानों को 763 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और दवाइयों के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य के साथ ही मृदा की उर्वरक क्षमता को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जैविक कृषि उत्पादन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। जैविक उत्पादन के दाम भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। प्रदेश में जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है। उन्होंने सभी से अपेक्षा जताई कि वे निश्चित ही अपनी खेती के एक हिस्से में जैविक खेती को अपनाएंगे।

आत्म-निर्भर म.प्र. के निर्माण में मछली पालन क्षेत्र का अहम योगदान : मंत्री श्री सिलावट

मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला

5 देशों तथा 8 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित मत्स्य उत्पादकों एवं विक्रेता हुए शामिल

मत्स्य विकास के लिए 5 देशों के साथ साइन हुए एमओआई



हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में 5 देशों तथा 8 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मत्स्य उत्पादक, मत्स्य पालक एवं मत्स्य विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। सांसद श्री शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक श्री रमेश मेंदोला, केन्द्र सरकार के मछली पालन विभाग के संयुक्त सचिव श्री सागर मेहरा, राज्य सरकार के मछली पालन विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सुश्री आर. वनिता तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के संचालक श्री विजय कुमार भी उपस्थित थे।

कार्यशाला में प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और मीठे पानी की उत्पादित मछली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए

विचार-विमर्श हुआ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी की गई। प्रदेश में मीठे पानी में उत्पादित होने वाली मछली की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और निर्यात के लिए नई संभावना पर भी विचार किया गया। कार्यशाला में जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मॉरीशस तथा नेपाल के प्रतिनिधि भी विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इन देशों के प्रतिनिधियों ने म.प्र. सरकार के साथ एमओआई (मेमोरैंडम ऑफ इंटेरेस्ट) साइन किया। इन देशों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने और उसके उत्पादन और क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उत्साह दिखाया है। साथ ही तकनीकी सहयोग और मार्केटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की बात कही।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में मछली पालन विभाग द्वारा अनेक

नवाचार शुरू किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे इन नवाचारों से मछुआ समाज के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के क्षेत्र में लगातार नए प्रयास हो रहे हैं। मछुआ कल्याण विभाग भी इसमें पीछे नहीं है। इस कार्यशाला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव से हम परिचित होंगे। प्रदेश में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेंगे। देश में अब नीली क्रांति की शुरुआत प्रदेश से होगी। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि मछुआ समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने में मत्स्य विकास विभाग महती भूमिका निभाए।

सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछुआओं के समग्र कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं। इन योजनाओं से मत्स्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। मछुआओं को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा भी मिली है।

केन्द्रीय संयुक्त सचिव मत्स्य पालन श्री सागर मेहरा ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी इस योजना का बेहतर लाभ मछुआओं को मिल रहा है।

इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) "तालीका तीन" फार्म "अ"

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2022 अन्त पर (01-04-2021 से 31-03-2022)

स्थिति विवरण पत्रक

सम्पत्ति तथा लेना 31 मार्च 2022

| गतवर्ष की रकम | क्रमांक | सम्पत्ति एवं लेना | राशि | राशि |
|------------------|--|--|------------------|-------------------------|
| 989,964,411.31 | 1. रोकड:- | | | 1,355,471,767.63 |
| | | नगदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, तथा राज्यसहकारी अधिकोष में:- | | |
| 207,638,853.60 | | अ. नगद | 518,814,662.30 | |
| 85,982,178.90 | | ब. भारतीयस्टेट बैंक और सहायक बैंक्स में | 100,538,619.71 | |
| 633,946,895.91 | | स. राष्ट्रीयकृत बैंक्स में | 563,558,449.37 | |
| 62,396,482.90 | | द. म0प्र0 राज्य सह0अधिकोष में | 172,560,036.25 | |
| | 2. अन्य अधिकोषों में : | | | 5,156,098,004.46 |
| 317,494,457.44 | | अ. चालू खाते में | 501,697,616.46 | |
| - | | ब. सेविंग खाते में | - | |
| 2,814,474,590.00 | | स. मुद्दती अमानतखाते में | 4,654,400,388.00 | |
| | 3. मांग तथा अल्पकालीन सूचना विनियोग: | | | |
| - | | टर्म डिपाजिट विथ अपेक्स बैंक | - | |
| | 4. विनियोजन: | | | 2,917,603,281.00 |
| | अ. केन्द्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभूति में: (खरीद मूल्य) | | | |
| | | दर्शनीय कीमत 2,701,267,250.00 | | |
| | | प्रीमियम पेड 7,035,000.00 | | |
| 2,404,639,131.00 | | बाजार कीमत 2,773,582,000.00 | 2,702,853,281.00 | |
| 5,000.00 | | ब. अन्य जमानती प्रतिभूतियों पर | 5,000.00 | |
| 214,745,000.00 | | स. अन्य सहकारी संस्थाओं के अंशों में (नीचे के 5 को छोड़कर) | 214,745,000.00 | |
| - | | द. नान एस. एल. आर. बाण्ड (आई0डी0बी0आई0 रेग्युलर इनकम बाण्ड) | - | |
| | 5. राज्य भागीदारी की मुख्य/सहायक पूंजी | | | |
| - | | क. अंशपूंजी में विनियोग: | - | |
| - | | ख. केन्द्रीय सहकारी बैंक | - | |
| - | | ग. प्राथ0कृषि सह0साख संस्थायें | - | |
| - | | घ. अन्य सह0समितियां | - | |
| | 6. ऋण: /अग्रीम | | | 7,980,389,181.70 |
| 8,537,902,384.52 | | अ. अल्या0ऋण नगदी साख अधि0 तथा बिलों में जो प्रतिभूत है | 7,671,937,459.47 | |
| | | 1. शास0एवं अन्य अनु0 प्रति0पर | | |
| | | 2. अन्य ठोस प्रतिभूति | | |
| | | इनमें से व्यक्तिगत | - | |
| | | इनमें से कालातीत | - | |
| | | घटिया आस्तियां 212,826,000.00 | | |
| | | संदिग्ध आस्तियां 627,439,000.00 | | |
| | | घाटा उठाने वाली आस्तियां 27,428,000.00 | | |
| 208,852,644.65 | | ब. मध्या0ऋण जो प्रतिभूत है | 150,125,862.74 | |
| | | 1. शास0 एवं अन्य अनु0प्रति0पर | | |
| | | 2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रतिभूति | | |
| | | इनमें से व्यक्तिगत | - | |
| | | इनमें से कालातीत | - | |
| 193,892,688.01 | | स. लम्बी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है | 158,325,859.49 | |
| | | 1. शास0एवं अन्य अनु0प्रतिभूति पर | | |
| | | 2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रति 1 | | |
| | | इनमें से व्यक्तिगत | - | |
| | | इनमें से कालातीत | - | |
| - | | द. कंसोरटियम फायनेन्स अपेक्स बैंक के माध्यम से | - | |
| | | इनमें से कालातीत | - | |

स्थिति विवरण पत्रक

सम्पत्ति तथा लेना 31 मार्च 2022

| गतवर्ष की रकम | क्रमांक | सम्पत्ति एवं लेना | राशि | राशि |
|--------------------------|---------|--|---------------|--------------------------|
| 12,665.00 | 7. | डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.) | - | 167,705.00 |
| 199,966,082.88 | 8. | प्राप्ति योग्य ब्याज | | 205,612,106.02 |
| | | इसमें से कालातीत | 61,485,802.88 | |
| 977,562.66 | 9. | शाखा समायोजन | | 42,979,957.65 |
| | 10. | भवन | 90,830,071.21 | |
| 85,504,691.00 | | (घसारा निधि जो कम की गई) | 13,875,850.21 | 76,954,221.00 |
| | 11. | फर्नीचर फिक्चर्स - | 55,458,097.96 | |
| 23,228,224.00 | | (घसारे की रकम जो कम की गई) | 31,891,040.96 | 23,567,057.00 |
| | अ. | जीप कार | 6,061,839.50 | |
| 1,892,942.00 | | (घसारे की रकम जो कम की गई) | 4,547,485.50 | 1,514,354.00 |
| | ब. | लॉकर्स | 9,304,771.25 | |
| 4,617,499.00 | | (घसारे की रकम जो कम की गई) | 4,852,022.25 | 4,452,749.00 |
| | स. | कम्प्यूटर | 41,153,686.49 | |
| 1,976,648.00 | | (घसारे की रकम जो कम की गई) | 38,440,988.49 | 2,712,698.00 |
| | 12. | अन्य सम्पत्तियां: | | 103,602,885.91 |
| 824,984.00 | | अ. केन्द्र शासन से ऋण राहत की रकम लेना बाकी | 824,984.00 | |
| 12,302.00 | | ब. त्यौहार अग्रिम | 23,202.00 | |
| 800.00 | | स. दौरा अग्रिम | 800.00 | |
| 1,785,381.75 | | द. अन्य अग्रिम | 965,566.75 | |
| 19,824,550.29 | | क. समायोजन | 27,401,357.58 | |
| 2,685,496.14 | | ख. स्टॉक फार्म व रजिस्टर | 2,358,431.54 | |
| 16,962.00 | | ग. लॉकर किराया लेना बाकी | 16,962.00 | |
| 59,065.00 | | घ. एमपीआईबी0 में डिपाजिट | 59,065.00 | |
| 20,284,746.55 | | च. आयकर लेना बाकी | 22,606,482.44 | |
| - | | ज. एटीएम रिसिक्वेबल | 2,348,990.00 | |
| 33,961.00 | | ड. आर.बी.आई.डिप.अका.लेना बाकी | 104,278.00 | |
| 1,516,553.40 | | ड. जी. एस. टी. रिसिक्वेबल | 3,131,608.40 | |
| 1,908,697.00 | | ड. IMpS लेना बाकी | 3,356,968.78 | |
| 250,000.00 | | ह. एन इ एफ टी/आर टी जी एस लेना बाकी | 40,404,189.42 | |
| - | 13. | नान बैंकिंग असेट्स के दावों के भुगतान से प्राप्त | - | - |
| - | 14. | लाभ एवं हानि | - | - |
| 16,049,350,120.60 | | म हा यो ग | | 17,871,125,968.37 |

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसबीए एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 004651C

(ओ.एस. भावर)
प्र. सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)
प्र. प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)
प्र. मुख्य कार्यपालन
अधिकारी

(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त
सहकारिता, इन्दौर

(C.A. विकास जैन)

साझेदार
मेम्बरशिप नं. 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) "तालीका तीन" फार्म "अ"

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2022 अन्त पर (01-04-2021 से 31-03-2022)

स्थिति विवरण पत्रक

पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2022

| गतवर्ष की रकम | क्रमांक | पूंजी एवं दायित्व | राशि | राशि |
|-----------------------|--------------------|---|---------------|-------------------------|
| 1,000,000,000.00 | 1. अंशपूंजी | | | 1,000,000,000.00 |
| | | 1. अधिकृत अंशपूंजी | | |
| | | "अ" वर्ग के अंश रु0 | 1000 प्रतिअंश | |
| | | "ब" वर्ग के अंश रु0 | 1000 प्रतिअंश | |
| | | "स" वर्ग के अंश रु0 | 100 प्रतिअंश | |
| | | "द" वर्ग के अंश रु0 | 100 प्रतिअंश | |
| | | 2. जारी की हुई अंशपूंजी: | | |
| | | "अ" वर्ग के अंश रु0 | 1000 प्रतिअंश | |
| | | "ब" वर्ग के अंश रु0 | 1000 प्रतिअंश | |
| | | "द" वर्ग के अंश रु0 | 100 प्रतिअंश | |
| | | 3. प्रदत्त अंशपूंजी: | | |
| 1,507,806.00 | | अंशों में प्रतिअंश रु0 | 100 | 1,520,106.00 |
| 653,394,900.00 | | अंशों में प्रतिअंश रु0 | 1000 | 701,443,400.00 |
| 198,386,100.00 | | अंशों में प्रतिअंश रु0 | 1000 | 198,386,100.00 |
| | | 4. उक्त (3) में से धारित | | 901,349,606.00 |
| 1,507,806.00 | 15078 | नाममात्र सदस्यों द्वारा | 15201 | 1,520,106.00 |
| 653,394,900.00 | 653395 | समितियों द्वारा | 701443 | 701,443,400.00 |
| 198,386,100.00 | 198386 | राज्य शासन द्वारा | 198386 | 198,386,100.00 |
| 853,288,806.00 | | | | 901,349,606.00 |
| | | 2. रक्षित निधि एवं अन्य निधियां: | | 566,615,172.52 |
| 173,520,235.00 | | 1. रक्षित निधि | | 185,508,403.00 |
| 146,445,488.00 | | 2. कृषि साख स्थिरता निधि | | 158,031,754.00 |
| 35,389,000.00 | | 3. भवन निधि | | 36,813,894.26 |
| 156,724.31 | | 4. लाभांश समीकरण निधि | | 156,724.31 |
| 2,173,110.00 | | 5. सहकारिता विकास निधि | | 3,611,690.00 |
| | | 6. अन्य कोष एवं निधियां | | |
| 14,932,375.26 | | अ. सामान्य रक्षित निधि | | 14,932,375.26 |
| 3,385,895.30 | | ब. फर्नीचर एवं डेडस्टाक निधि | | 3,385,895.30 |
| 3,688,516.22 | | स. वाहन निधि | | 3,688,516.22 |
| 10,891,450.74 | | द. कर्मचारी कल्याण निधि | | 9,884,119.74 |
| 3,955,917.43 | | क. अमानत गारंटी फण्ड | | 3,955,917.43 |
| 1,144,302.00 | | ख. भवन एव साजसज्जा निधि | | 1,144,302.00 |
| 192,500.00 | | ग. प्रतिभावान छात्रों के लिये पुरस्कार प्रावधान | | 192,500.00 |
| 1,000,000.00 | | घ. सह.संस्थाओं के गोदाम भवन निर्माण हेतु प्रावधान | | 1,000,000.00 |
| 24,339,164.00 | | च. कोर बैंकिंग हेतु निधि | | 24,339,164.00 |
| 39,667,245.00 | | छ. कम्प्यूटर स्थापना निधि | | 39,667,245.00 |
| 10,426,832.00 | | ज. कर्मचारी प्रशिक्षण निधि | | 11,194,074.00 |
| 1,600,000.00 | | झ. सुरक्षा निधि | | 1,600,000.00 |
| 1,000,000.00 | | य. विनियोजन अस्थिरता निधि | | 2,500,000.00 |
| 71,120,665.00 | | र. रिवेल्युएशन रिजर्व | | 64,008,598.00 |
| - | | ल. शासकीय अंशपूंजी वापसी हेतु प्रावधान | | 1,000,000.00 |
| | | 3. मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधिखाता अंशपूंजी के लिये: | | |
| - | | अ. केन्द्रीय सह0 अधिकोष | | - |
| - | | ब. प्रा0कृषि सह0साख संस्थायें | | - |
| - | | स. अन्य समितियां | | - |

स्थिति विवरण पत्रक

पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2022

| गतवर्ष की रकम | क्रमांक | पूंजी एवं दायित्व | राशि | राशि |
|------------------|-----------|---|------------------|-------------------|
| | 4. | अमानतें एवं अन्य खाते:— | | 13,367,478,220.44 |
| | | 1. मुद्दती अमानत: | | |
| 3,513,853,106.74 | | 1. व्यक्तिगत | 3,546,617,193.45 | |
| - | | 2. केन्द्रीयसह0 अधिकोष | - | |
| 2,924,946,184.45 | | 3. अन्य समितियां | 2,911,665,008.93 | |
| | | 2. सेविंग अमानत: | | |
| 5,512,166,599.17 | | 1. व्यक्तिगत | 5,862,494,175.69 | |
| - | | 2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष | - | |
| 609,376,121.29 | | 3. अन्य समितियां | 845,283,612.48 | |
| | | 3. चालू अमानत: | | |
| 88,855,830.22 | | 1. व्यक्तिगत | 81,028,786.94 | |
| - | | 2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष | - | |
| 54,394,133.34 | | 3. अन्य समितियां | 120,389,442.95 | |
| | | 4. मांग एवं अल्पसूचना अमानत | | |
| | 5. | ऋण देना — | | 1,696,612,238.00 |
| | | 1. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक / | | |
| | | म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकोष | | |
| 653,500,000.00 | | अ. अल्पाऋण नगद साख एवं अधिविकर्ष जो प्रतिभूत हैं । | 1,678,900,000.00 | |
| | | 1. शास. एवं अन्य अनु. प्रतिभूतियों पर | | |
| | | 2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर — | | |
| 22,282,000.00 | | ब. मध्यवाधि ऋण जो प्रतिभूत है | 17,135,000.00 | |
| | | 1. शास. एवं अन्य अनु. प्रतिभूतियों पर | | |
| | | 2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर | | |
| 925,698.00 | | स. लंबी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है — | 514,266.00 | |
| | | 1. शास. एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर | | |
| | | 2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर | | |
| - | | 2. भारतीय स्टेट बैंक — | - | |
| | | अ. अल्पाकालीन ऋण | | |
| | | ब. मध्यकालीन ऋण | | |
| | | स. लम्बी अवधि ऋण | | |
| - | | 3. राज्य शासन से | - | |
| | | अ. अल्पाकालीन ऋण | | |
| | | ब. मध्यकालीन ऋण | | |
| | | स. लम्बी अवधि ऋण | | |
| 297,254.00 | | 4. अन्य स्रोत से | | |
| | | अ. एकीकृत सह. विकास परियोजना | 62,972.00 | |
| - | | 6. शाखाओं का जमाखर्च | | - |
| 218,117,092.04 | | 7. ब्याज जो देना है | | 205,718,403.05 |
| | | 8. प्रावधान | | 709,122,386.11 |
| 30,000,000.00 | | 1. मानक आस्तियों के लिये रिजर्व | 31,000,000.00 | |
| 317,882,386.11 | | 2. संदिग्ध एवं डूबंत ऋणनिधि | 552,882,386.11 | |
| 84,000,000.00 | | 3. कालातीत ब्याजकोष | 84,000,000.00 | |
| 8,660,000.00 | | 4. विनियोजन हास निधि | 8,660,000.00 | |
| 11,000,000.00 | | 5. ऋण असंतुलन निधि हेतु | 26,000,000.00 | |
| 6,080,000.00 | | 6. कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिए संचय | 6,580,000.00 | |
| | | 9. अन्य देनदारियां विवरण: | | 344,029,717.50 |
| 20,906.00 | | क. देय लाभांश | 10,469,981.00 | |
| 99,275,169.66 | | ख. किरकोल अमानत | 182,184,849.82 | |
| 35,326,510.89 | | ग. फुटकर देनदारियां | 28,841,939.63 | |
| 154,225,326.59 | | घ. समायोजन (एडजस्टिंग अकाउण्ट देना) | 82,715,901.72 | |
| 3,308,858.00 | | ड. कर्मचारी भविष्यनिधि | 1,886,256.00 | |
| - | | च. बिल्स पे-एबल | - | |

स्थिति विवरण पत्रक

पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2022

| गतवर्ष की रकम | क्रमांक | पूंजी एवं दायित्व | राशि | राशि |
|--------------------------|---------------|--|---------------|--------------------------|
| 9,973,150.00 | | छ. कर्मको बोनस/एक्स0 देना बाकी | 10,806,155.00 | |
| 1,250,000.00 | | ज. आडिट फीस देना बाकी | 1,152,000.00 | |
| 1,968,597.50 | | झ. केडर फण्ड | 289,045.50 | |
| 23,621.73 | | ण. पैमेंटआर्डर पे-एबल अकाउन्ट | 23,621.73 | |
| 3,199,749.77 | | य. बैंकर्स चेक पेएबल अकाउन्ट | 2,504,361.77 | |
| 1,252,196.58 | | र. कर्मचारी उपादान निधि | 1,252,196.58 | |
| 2,203,705.00 | | ल. इनकम टैक्स देना बाकी | 2,203,705.00 | |
| 2,199,264.34 | | व. डी.डी. पै-एबल अकाउन्ट | 2,175,864.34 | |
| 9,081,453.52 | | श. केश क्रेडिट सभाओं का क्रेडिट बैलेन्स | 15,691,003.11 | |
| - | | ष. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज | - | |
| 200,207,260.58 | | स. एन इ एफ टी देना बाकी | - | |
| 199,468.01 | | ह. जी. एस. टी. पे-एबल | 1,236,643.30 | |
| 2,742,833.00 | | क्ष. IMpS/ATM देना बाकी | 596,193.00 | |
| | | 10. लाभ-हानि: | | 80,200,224.75 |
| 57,721,746.98 | | गत स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार लाभ | 68,237,417.81 | |
| 40,189,002.98 | | (-)कम किया, जो अंकेक्षण वर्ष में वितरित किया गया | 47,952,671.26 | |
| 17,532,744.00 | | शेष संचित लाभ | 20,284,746.55 | |
| 50,704,673.81 | | (+)जोड़ो इस वर्ष का लाभ जो लाभ हानि पत्रक से आया | 59,915,478.20 | |
| | | 11. आकस्मिक देनदारियां | | |
| - | | 1. दी गई प्रत्याभूति के विरुद्ध देय राशि | - | - |
| - | | 2. अन्य | - | - |
| 16,049,350,120.60 | महायोग | | | 17,871,125,968.37 |

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसबीए एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 004651C
(C.A. विकास जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

(ओ.एस. भावर)
प्र. सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)
प्र. प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)
प्र. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त
सहकारिता, इन्दौर

इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) "तालिका तीन" फार्म "ब"

31.03.2022 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक)

| गतवर्ष की रकम | क्रमांक | आमदानी का विवरण | राशि | राशि |
|-------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1,166,467,669.54 | 1. | ब्याज एवं बट्टा | 1,288,696,666.03 | |
| 1,291,940.90 | 2. | कमीशन विनियम एवं दलाली | 2,344,552.69 | |
| - | 3. | अनुदान एवं दान | - | |
| - | 4. | नान बैंकिंग असेट्स के क्रय विक्रय से लाभ | - | |
| 15,559,156.18 | 5. | अन्य प्राप्तियां | 16,006,238.91 | |
| - | 6. | डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.) | 155,040.00 | |
| - | 7. | हानि यदि हो | - | |
| 1,183,318,766.62 | कुल योग | | 1,307,202,497.63 | 1,307,202,497.63 |

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसबीए एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 004651C
(C.A. विकास जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

(ओ.एस. भावर)
प्र. सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)
प्र. प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)
प्र. मुख्य कार्यपालन
अधिकारी

(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त
सहकारिता, इन्दौर

इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) "तालिका तीन" फार्म "ब"

31.03.2022 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक)

| गतवर्ष की रकम | क्रमांक | खर्च का विवरण | राशि | राशि |
|-------------------------|---------|--|-------------------------|-------------------------|
| 752,276,651.34 | 1. | अमानत तथा ऋण पर ब्याज | 721,629,950.85 | |
| 195,208,909.25 | 2. | वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि | 183,454,722.75 | |
| - | 3. | संचालक मण्डल एवं स्थानिय समितियों के, सदस्यों का शुल्क एवं भत्ता | - | |
| 26,841,217.90 | 4. | किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यय | 27,383,982.70 | |
| 503,929.00 | 5. | विधि व्यय | 279,958.00 | |
| 959,925.98 | 6. | डाक, दूरलेख एवं दूरभाष व्यय | 215,297.62 | |
| 1,353,450.00 | 7. | अंकेक्षण शुल्क | 765,950.00 | |
| 9,190,593.66 | 8. | सम्पत्ति पर घसारा एवं दुरुस्ती | 10,930,612.61 | |
| 1,427,615.23 | 9. | लेखन सामग्री, छपाई एवं विज्ञापन | 1,478,692.32 | |
| - | 10. | नान बैंकिंग असेट्स के बेचान से हानि | - | |
| 8,498,783.62 | 11. | अन्य व्यय (केडर फण्ड में, राज्य, जिला सह. संघ को चंदा व अन्यखर्च) | 11,372,812.92 | |
| 9,822,571.34 | 12. | कोर बैंकिंग | 8,783,579.16 | |
| 5,214,765.39 | 13. | जी. एस. टी. भुगतान | 8,680,355.32 | |
| 435,850.00 | 14. | प्रीमियम दिया शासकीय प्रतिभूतियों | 435,850.00 | |
| 100,000,000.00 | 15. | अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष में प्रावधान | 235,000,000.00 | |
| - | 16. | प्रो.फॉर ऋण असन्तुलन निधि | 15,000,000.00 | |
| 1,000,000.00 | 17. | मानक आस्तियों की निधि के लिये प्रावधान | 1,000,000.00 | |
| - | 18. | प्रावधान कर्मको बोनस/एक्स0 देना बाकी | 300,000.00 | |
| 500,000.00 | 19. | कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिये संचय | 500,000.00 | |
| 19,217,041.10 | 20. | वर्ष 2021-22 में आयकर के लिये प्रावधान | 20,075,255.18 | |
| 162,789.00 | 21. | डिफर टेक्स लायबिलिटीज के लिये प्रावधान | - | |
| 50,704,673.81 | 22. | शुद्ध लाभ वर्ष 2021-2022 | 59,915,478.20 | |
| 1,183,318,766.62 | | कुल यांग | 1,307,202,497.63 | 1,307,202,497.63 |

हमारी समातिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एसबीए एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म रजि. नं. 004651C

(ओ.एस. भावर)

प्र. सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)

प्र.प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)

प्र.मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(मदन गजभिये)

प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता, इन्दौर

(C.A. विकास जैन)

साझेदार

मेम्बरशिप नं. 078245

स्थान : इन्दौर

दिनांक :

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

सदस्यगण,

इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,

इन्दौर (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 21 दिनांक 31-03-1916 है, के संगठन वित्तीय विवरणों जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र तथा इस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता विवरणी एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित है, का लेखा-परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों में निगमित हमारे द्वारा अंकेक्षित 29 शाखाओं का विवरणियाँ है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का दायित्व

1. बैंक का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिये लागू होता है), म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 और संबंधित नियमों के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना क्रियान्वयन एवं रख-रखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

2. हमारा दायित्व हमारे द्वारा कि गई लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत

व्यक्त करना है, हमने हमारी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुये लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और सम्पन्न करें कि इन वित्तीय विवरणियों के सही एवम् किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन प्रकट हो सके।

3. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, जिनसे वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सके। इन क्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण होने से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आंकलन में लेखा परीक्षा की वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में समिति के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जो कि प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार कि उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिये है, जो सही एवम् निष्पक्ष चित्रण कर सके। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों कि उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

4. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमान के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिये आधार उपलब्ध कराता है,

अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमतके लिए आधार (Basis for Qualified Opinion)

5. बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा लेखांकन मानक 3 (रोकड़ प्रवाह विवरण), लेखांकन मानक 17 (खंड विवरणी), लेखांकन मानक 20 (प्रति अंश आय), एवं लेखांकन मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक संपत्तियाँ) अ नुपालन और सूचना के प्रकटीकरण का अनुसरण नहीं किया है।

6. अंकेक्षण के दौरान सम्पत्तियों (अग्रिमों) के सही वर्गीकृत करने की प्रक्रिया में दोष पाया गया है। हम

सम्पत्तियों (अग्रिमो) के सही वर्गीकरण जोकि मानक, गैर निष्पादक, अवमानक और संदिग्ध सम्पत्तियों में होनी चाहिए, अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) esaekuoh; gLr{ksigksus ds dkj.krFkk गलत प्रविष्टि होने के कारण सही वर्गीकृत करने में असमर्थ है। हम अभियन्त्रिक तंत्र (कम्प्यूटरीकृत CBS) व्यवस्था में गैर निष्पादक संपत्तियों (NPA) कि प्रविष्टि गलत होने के कारण गैर निष्पादक संपत्तियों (NPA) के सभी वर्गीकरण जो कि अवमानक औरसंदिग्ध संपत्तियों (Sub Standard & Doubtful Assets) किया जाना था, को कम्प्यूटरीकृत (CBS) व्यवस्था द्वारा सत्यापित करने में असमर्थ है एवं उसके परिणाम स्वरूप खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (Provision for bad and doubtful debts) के प्रभाव को निश्चित करने में असमर्थ पाते हैं। इसके अतिरिक्त गैर निष्पादक संपत्तियों (NPAa/c) में कोई राशि जमा हो जाने उसके वर्गीकरण में होने वाले बदलाव को सत्यापित करने में असमर्थ है। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्पत्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण कम्प्यूटर सिस्टम के द्वारा निकाले गये ब्याज और ना निकाले गये ब्याज की राशि की गणना करना संभव नहीं है। हमें यह भी बताया गया कि गैर निष्पादक सम्पत्तियों (NPA) की राशि पर प्रावधान हस्तलिखित अभिलेख के आधार पर किया गया चुकि अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) अभिलेख और हस्तलिखित अभिलेख में अंतर है अतः अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) अभिलेख में ब्याज के आय की राशि की गणना को सही नहीं माना जा सकता। उक्त के कारण तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक में होने वाले प्रभावों की गणना में असमर्थ है।

- बैंक के तुलन पत्र के अनुसार 31 मार्च 2022 की स्थिति में संपत्तियों की ओर अकाउंट एजस्टमेंट Adjusting account receivable में राशि 151.22 लाख तथा देयताओं की ओर में Adjusting account Payable में राशि 827.16 लाख Suspense Deposits (जिसमें सस्पेंस अकाउंट एवं किर्कोल अमानत इत्यादि जुड़ी हुई है) में राशि 313.96 लाखकी राशियाँ दर्शाई गई है। उक्त खाते पूर्व के वर्षों में भी थे। वर्ष के दौरान उक्त खातों में होने वाले लेनदेन की जानकारी की गणना कर उनका सही विवरण 31 मार्च 2022 की स्थिति में देने में असमर्थ है।
- अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि बैंक के अभिकलित्रतंत्र (CBS) में कुछ खातों(जो कि ब्रांच लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के Annexure – E में उल्लेखित है) में ब्याज की दर शून्य दर्ज की गयी हैं तथा कुछ खातों में दण्ड ब्याज नहीं वसूला गया है, कुछ खातों पर NPA की गलत मार्किंग के कारण ब्याज नहीं वसूला गया है, कुछ खातों पर NPA की वसूली को सीधे मूलधन में से कम कर दिया है। इन सभी विसंगतियों से बैंक को आय की हानि हुई। बैंक द्वारा प्रदान की गयी जानकारी की कमी के कारण हम ब्याज की राशि निर्धारित नहीं कर पाने में असमर्थ हैं।
- हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 3 समितियों में ऋण असंतुलन वर्ष 2021-22 में पाया गया है। वर्ष 2021-22 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार मूलराशि में 1297.08 लाख, ब्याज में 590.30 लाख एवं असंतुलन 706.78 लाख का पाया गया है।
- bUnkSj Áhfe;j dks&vkijsfVo cSad fyfeVsM] bUnkSj के फॉर्म नंबर 26AS में 2021-22 में 55,79,457/- रु की आय पाई गयी है परन्तु इस आय को लाभ हानी खाते में नहीं दर्शाया गया है ना ही टी डी एस खाते के बैलेंस को चालू संपत्ति में दर्शाया गया है अतः इसे खातों में संलिप्त किया जाए

| Section | Particular | Amount Received | TDS Deducted |
|--------------|---|------------------|----------------|
| 194D | AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED | 47,72,741 | 5,30,305 |
| 194JB | THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. | 14,094 | 1409 |
| 194H | PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY DELHI | 1000 | 50 |
| 194C | HDFC ERGO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 791622 | 15832 |
| 194A | INTEREST ON FDR FROM NATIONALISED BANK | | 1214069 |
| TOTAL | | 55,79,457 | 1261670 |

उसके अतिरिक्त आय तथा व्यय जो कि लाभ-हानि खाते में नहीं दर्शाई गई है उनका विवरण निम्नानुसार है :-

| SN | Year | Commission Income 4% | SN | Year | Commission Payable 3% |
|----|--------------|----------------------|----|--------------|-----------------------|
| 1 | 2018-19 | 4037066 | 1 | 2018-19 | 3508462 |
| 2 | 2019-20 | 3778032 | 2 | 2019-20 | 3063269 |
| 3 | 2020-21 | 5769204 | 3 | 2020-21 | 4807670 |
| | - | - | 4 | 2021-22 | 4173302 |
| | Total | 13584302 | | Total | 15552703 |

उपरोक्त आय तथा व्यय को लाभ हानी खाते में नहीं दर्शाया गया है तथा रु 1214069.00 सावधि जमा पर ब्याज की आय जो कि टीडीएस के कारण खाते में नहीं दर्शाई गई है। अतः इसे खातों में संलिप्त किया जाए इस प्रकार कुल आय में रु 48,25,124.00 की वृद्धि होगी।

- हमारे द्वारा जांचे गए प्रकरणों में सुविधाओं को बढ़ाने एवं नवीकरण हेतु उपयुक्त कार्यवाही की गई है। कुछ अन्यथा अपवाद स्थिति में मुख्य कार्यालय से स्वीकृति ली जाती है। परन्तु कुछ खातों में ब्रांच द्वारा

मुख्यालय से स्वीकृति नहीं ली गयी है। जिसका विवरण शाखा अंकेक्षण रिपोर्ट में दिया गया है।

- इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौरको आयकर के नोटिस दिए गए हैं जो पुराने वर्षों से लंबित है तथा कुल डिमांड राशि 3,86,06,558/- रु आ रही है। इसे Contingent Liability के रूप में दर्शाया जाना चाहिये तथा बैंक को इसके लिये प्रावधान करना चाहिये।

आयकर के डिमांड नोटिस

| Year | Demand |
|--------------|--------------------|
| 2007 | 1,74,77,007 |
| 2010 | 1,59,617 |
| 2011 | 61,85,210 |
| 2017 | 10,000 |
| 2019 | 1,31,83,000 |
| 2020 | 15,91,724 |
| Total | 3,86,06,558 |

- अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि बैंक के जी एस टी आर 2A में 73,10,413/- रु की क्रेडिट आ रही है परन्तु बैंक ने 41,14,141/- रु की ही क्रेडिट ली है 66,58,105/- रु की ही क्रेडिट रिवर्स की है, यानि 34,61,834.00 रु की क्रेडिट अधिक क्लेम की गयी है साथ ही बैंक ने कम्पोजीशन स्कीम को चुना है तो बैंक को 36,55,207/- रु तक ही इनपुट क्लेम करना चाहिए था परन्तु संस्था ने 4,58,935/- रु अधिक क्लेम किया है इसे रिवर्स किया जाना चाहिए।
- बैंक के मुख्यालय में वर्ष 2021-22 के दौरान कुछ संपत्तियां खरीदी गयी परन्तु उपर्युक्त कमियां पाई गयी है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

| HO Fixed Assets Verification Purchased during the year | | | | |
|--|------------|----------------------------------|-------------------|---|
| Sl no. | Date | Particulars | Amount | Remarks |
| 1 | 11/06/2021 | Laptop | 60250.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 2 | 30/07/2021 | Lock | 600.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 3 | 24/09/2021 | Air Conditioner | 391760.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 4 | 24/09/2021 | LED | 93515.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 5 | 24/09/2021 | Fan | 43194.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 6 | 24/09/2021 | Chairs | 652540.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 7 | 24/09/2021 | Chairs | 63012.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 8 | 24/09/2021 | Table | 49560.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 9 | 24/09/2021 | Mic set with amplifire & Speaker | 122838.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 10 | 06/10/2021 | Wooden Almirah | 16018.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 11 | 06/10/2021 | Projector Set | 103911.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 12 | 21/10/2021 | Celling Fan | 4543.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 13 | 21/10/2021 | Reception Table | 19470.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 14 | 21/10/2021 | Tubelight | 7352.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 15 | 21/10/2021 | Tubelight LED | 44604.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 16 | 27/01/2022 | Room Heater | 2200.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| 17 | 03/02/2022 | Fan + Tubelight | 54138.00 | मार्क नहीं है तथा रजिस्टर में एंट्री कराई गयी |
| | | HO Addition | 1729505.00 | |

- बैंक में संपत्ति के लेखांकन के सम्बन्ध में खामिया पाई गयी गयी है नाबार्ड से रुपये 5ए70ए0000. का अनुदान प्राप्त हुआ है जिसकारण संपत्ति का मूल्य 5,70,000/- रु से घटाया गया है परन्तु संचित हास में इसके प्रभाव को लक्षित नहीं किया गया है सी बी एस सिस्टम के अनुसार जो वर्षांत पर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 20,28,08,466/- रु आ रहा है जिस पर वर्ष में कुल हास 72,21,670. रु लगना चाहिए था परन्तु बैंक द्वारा 74,11,652/- रु हास लगाया गया है। इस प्रकार कुल आय में रु 1,89,981.00 की अतिरिक्त वृद्धि होगी।
- इन्दौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर ने उपर्युक्त कुल 27 बैंक खाते अन्य बैंक में खुलवाये है तथा 31-03-2022 की दिनांक को उपलब्ध अन्य बैंकों में बैलेंस जो बैंक के खातों में 1,33,83,54,721/- रु है तथा बैंक बैलेंस सम्बंधित बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 1,58,40,74,972/- है अतः कुल अंतर -24,57,20,250/- रु है।

Bank Balance in Other Banks

| S. NO | NAME OF THE BANK | A/C NO. | BANK BOOK | CONFIRMATION | PENDING FOR RECONCILIATION |
|-------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | STATE BANK OF INDIA, GPO | 10612345936 | 2547171.38 | 2546522.38 | 649.00 |
| 2 | STATE BANK OF INDIA - P.Y. ROAD | 530472774483 | 7363126.64 | 10698111.64 | -3334985.00 |
| 3 | UNION BANK OF INDIA - SANYOGITAGANJ | 32630102005001 | 36949834.86 | 35249817.16 | 1700017.70 |
| 4 | M.P. RAJYA SAHKARI BANK MYDT. VIJAYNAGAR | 687008025176 | 4452609.51 | 5224409.62 | -771800.11 |
| 5 | PUNJAB NATIONAL BANK- NEW SABJI MANDI | 3990005900000020 | 117204139.05 | 303204139.05 | -186000000.00 |
| 6 | M.P. RAJYA SAHKARI BANK MYDT. - MAS | 687099004136 | 163475060.13 | 163856142.43 | -381082.30 |
| 7 | CANARA BANK | 2074201002458 | 155662937.62 | 61794303.62 | 93868634.00 |
| 8 | M.P. RAJYA SAHKARI BANK MYDT. - T.T. NAGAR | 687002110228 | 4431516.61 | 4434516.61 | -3000.00 |
| 9 | YES BANK LTD | 4087700000444 | 161679318.06 | 173160786.48 | -11481468.42 |
| 10 | CBI NEFT | 3266869329 | 20240831.13 | 23732196.99 | -3491365.86 |
| 11 | CBI RTGS | 3577028870 | 199570335.97 | 199973680.76 | -403344.79 |
| 12 | ICICI BANK ATM | 388005000014 | 38598123.50 | 38698084.11 | -99960.61 |
| 13 | ICICI BANK MALAV PRISAR | 4105003220 | 132774832.41 | 214385625.12 | -81610792.71 |
| 14 | SBI SIYAGANJ | 5020200000718 | 85081749.98 | 147010188.78 | -61928438.80 |
| 15 | MP RAJYA SAHAKARI BANK, SPCL A/C | 687008025187 | 200850.00 | 200850.00 | 0.00 |
| 16 | BANK OF INDIA, D.A. MARG | 880521100000067 | 4820471.60 | 4820309.34 | 162.26 |
| 17 | AXIS BANK, ANNAPURNA | 912020010137565 | 66558589.70 | 66558589.70 | 0.00 |
| 18 | INDUSIND BANK | 200001322402 | 31618528.02 | 31618528.02 | 0.00 |
| 19 | ICICI BANK LTD. (IMPS) | 388005000016 | 26747652.73 | 23531026.98 | 3216625.75 |
| 20 | YES BANK LTD (UPI) | 4063100000042 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 |
| 21 | HDFC BANK | 360380000116 | 5014250.00 | 0.00 | 5014250.00 |
| 22 | BANK OF BARODA | 5020200000718 | 29109899.14 | 29109899.14 | 0.00 |
| 23 | STATE BANK OF INDIA SANWER | 34940681044 | 969692.23 | 969692.23 | 0.00 |
| 24 | STATE BANK OF INDIA, MHOW | 53016620491 | 2654113.04 | 2654113.04 | 0.00 |
| 25 | AXIS BANK, MHOW | 9120200501021344 | 17161010.64 | 17161010.64 | 0.00 |
| 26 | ICICI BANK, RAU | 171705000040 | 19045311.40 | 19045311.40 | 0.00 |
| 27 | STATE BANK OF INDIA, DEPALPUR | 53036750039 | 1922766.44 | 1937117.00 | -14350.56 |
| | TOTAL | | 1338354721.79 | 1584074972.24 | -245720250.45 |

17. बैंक में हेड ऑफिस व अन्य शाखाओं में टी डी एस की डिमांड आ रही है अतः बैंक को टी डी एस के रिटर्न रिवाइज किया जाना चाहिए ट्रेसेस पोर्टल पर लॉग इन करके यह पाया गया की वर्ष के दौरान 24,826/- रु की डिमांड आई है तथा पूर्व वर्षों के लिए 4,42,748/- रु की डिमांड आ रही है इस प्रकार वर्षांत पर कुल डिमांड 4,67,574/- रु आ रही है।

उपरोक्त डिमांड का प्रारूप सलग्न है।

| Financial Year | Short Payment | Short Deduction | Interest on payment default u/s 201 | Interest on deduciton default u/s 201 | Late filling fee u/s 234E | interest u/s 220(2) | Total Default |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 2021-22 | 1,215.00 | 20,112.20 | 36 | 663 | 2,800.00 | 0 | 24,826.20 |
| 2020-21 | 0 | 0 | 105 | 0 | 13,000.00 | 0 | 13,105.00 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Prior Years | 58,316.00 | 2,34,387.08 | 34,961.50 | 81,713.00 | 20,059.00 | 42 | 4,29,478.58 |
| Total | 59,531.00 | 2,54,499.28 | 35,267.50 | 82,376.00 | 35,859.00 | 42 | 4,67,574.78 |

18. FLC NABARD खाते में रुपये 4,75,325.00 तथा PDC NABARD खाते में रुपये 24,75,307.00 की राशि नाबार्ड से वेतन के रूप में भुगतान हुये खर्च हेतु राशि शीघ्र मंगवाई जावे।

19. लेखा परीक्षक के रूप में अन्य मामले जो प्रबंधन के नोटिस में लाये जाने है उनका विवरण एलएफएआर / परिशिष्ट - अमें दिया गया है।

20. TFSERVICE tax & SERVICE tax head को बन्द किया जाना चाहिये तथा Tax amount हेतु IGST, CGST, SGST A/C को Mapping किये जाने चाहिये।

21. चेक रिटर्न चार्जस को अन्य बैंकों द्वारा लिये गये चार्जस के समकक्ष किये जाने चाहिये।

22. लॉकर किराया को अन्य बैंकों द्वारा लिये गये किराये के समकक्ष किये जाकर नान फण्ड इनकम को बढ़ाये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमत (Qualified Opinion)

बैंक की लेखा पुस्तको मे यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा उपरोक्त पैरा "अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमतके लिए आधार" में वर्णित विषयो के (अनुच्छेद अंक 5 से लेकर 17 तक में) अतिरिक्त, हमारे अभिमत मे हम रिपोर्ट करते है कि -

i. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप, सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित है, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत मे सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) कि धारा 31 एवं म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) तथा उसके नियमों के अनुरूप दि. 31 मार्च, 2022 को समिती के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।

ii. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एवं म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखों में लाभ की सही स्थिती दर्शाता है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षा

तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों के अनुसार बनाये गये है।

उपयुक्त पैरा 1 से 8 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एव म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते है कि

हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए।

बैंक के लेनदेन, जो कि हमारी जानकारी में आए, समिति के अधिकारों के अंतर्गत पाए गए।

बैंक के कार्यालय से प्राप्त विवरणी लेखा-परीक्षण के उद्देश्य के लिए उचित पाई गई है।

इस रिपोर्ट के साथ दिए गए तुलन पत्र तथा लाभ-हानि पत्रक बही खातों के साथ समझौते में है।

हमारे द्वारा की गई बैंक की पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर हमारी राय के अनुसार, समिति द्वारा कानूनी रूप से उचित बहीखाते रखे गये हैं।

वास्ते मे. एस. बी. ए एण्ड कम्पनी

(सनदी लेखाकार)

(फर्म पंजीयन क्रमांक : 004651C)

(C.A. विकास जैन)

(भागीदार)

सदस्यता क्र. - 078245

स्थान : इन्दौर

दिनांक: 22-07-2022

UDIN: 22078245ANLXYV1819

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर

तृतीय सूची "अ" बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 29 के अन्तर्गत स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2022 पर

पूँजी एवं देनदारियाँ -

| राशि 31.03.21 | क्र. | पूँजी एवं देनदारियाँ | राशि 31.03.22 |
|---------------|------|--|---------------|
| 1000000000.00 | 1 | अंशपूँजी | 1000000000.00 |
| - | 2 | (1) - अधिकृत अंशपूँजी | - |
| - | 3 | अ - वर्ग प्रति अंश 1000 सह. समितियाँ | - |
| - | 4 | ब - वर्ग प्रति अंश 1000 राज्य शासन | - |
| - | 5 | स - वर्ग प्रति अंश 100 व्यक्तिगत नाम मात्र सदस्य | - |
| - | 6 | (2) - प्राधिकृत अंशपूँजी | - |
| - | 7 | अ - वर्ग प्रति अंश 1000 | - |
| - | 8 | ब - वर्ग प्रति अंश 1000 | - |
| - | 9 | स - वर्ग प्रति अंश 100 | - |
| 890950998.00 | 10 | (3) - प्रदत्त अंशपूँजी | 923147398.00 |
| 696566195.00 | 11 | अ - वर्ग प्रति अंश 1000 | 728762195.00 |
| 190792790.00 | 12 | ब - वर्ग प्रति अंश 1000 | 190792790.00 |
| 45263.00 | 13 | स - वर्ग प्रति अंश 100 | 45663.00 |
| 3546750.00 | 14 | द - आई.सी.डी.पी. अंशपूँजी | 3546750.00 |
| - | 15 | उक्त तीनों में धारित | - |
| - | 16 | अ - सहकारी समितियाँ | - |
| - | 17 | ब - राज्य शासन | - |
| - | 18 | स - व्यक्तिगत नाम मात्र सदस्य | - |
| 842897670.93 | 19 | रक्षित कोष एवं अन्य निधियाँ | 1100865334.93 |
| 199297650.00 | 20 | 1 - रक्षित कोष | 207565806.00 |
| 142987855.00 | 21 | 2 - कृषि साख स्थिरीकरण कोष | 147948749.00 |
| 4280000.00 | 22 | 3 - भवन कोष | 4850000.00 |
| 610000.00 | 23 | 4 - लाभार्थ संतुलन कोष | 610000.00 |
| 0.00 | 24 | 5 - स्पे. डूबत ऋण कोष | 0.00 |
| 244483962.00 | 25 | 6 - संदिग्ध एवं डूबत ऋण कोष (प्रावधान) | 482283962.00 |
| 600000.00 | 26 | 7 - विनियोग हास निधि | 600000.00 |
| 69803585.63 | 27 | 8 - ऋण असंतुलन कोष | 69803585.63 |
| 16142033.44 | 28 | 9 - सहकारी विकास निधि | 17134212.44 |
| 45466170.00 | 29 | 10 - अन्य सम्पत्ति कोष | 45466170.00 |
| 46258330.00 | 30 | 11 - साधारण अंशपूँजी मोचन निधि | 46258330.00 |
| - | 31 | अन्य कोष एवं निधियाँ | - |
| 1550000.00 | 32 | 1 - जीप कोष | 1550000.00 |
| 218566.31 | 33 | 2 - बोनस कोष | 218566.31 |
| 98.00 | 34 | 3 - दान कोष | 98.00 |

सम्पत्ति एवं लेनदारियाँ -

| राशि 31.03.21 | क्र. | सम्पत्ति एवं लेनदारियाँ | राशि 31.03.22 |
|----------------|------|---|----------------|
| 102713557.12 | 1 | 1 - सिलक | 0.00 |
| 102713557.12 | 2 | हाथ में | 163975172.00 |
| 0.00 | 3 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / अपेक्स बैंक / को.ओ.बैंक | - |
| 1764174899.91 | 4 | 2 - अन्य बैंकों में अमानतें | 1424111731.50 |
| 393027807.91 | 5 | (1) - चालू अमानतें | 838395772.50 |
| 0 | 6 | (2) - सोव्हिंग अमानतें | 0.00 |
| 1324415497.00 | 7 | (3) - मियादी अमानतें | 536530955.00 |
| 46731595.00 | 8 | (4) - स्पे. रिजर्व फण्ड (अपेक्स बैंक) | 49185004.00 |
| 2206931694.16 | 9 | 3 - अल्पा. मांग अमानतें | - |
| 1386539694.16 | 10 | 4 - विनियोग | 3812657000.00 |
| 470000000.00 | 11 | (1) - केन्द्रीय और राज्य शासन प्रतिभूतियों में | - |
| 348890000.00 | 12 | अ - पुस्तक मूल्य | 323864000.00 |
| 1502000.00 | 13 | ब - बाजार मूल्य | - |
| 11927617877.14 | 14 | (2) - अन्य ट्रस्टी सिक्कुरिटीज | 15000000.00 |
| 11232112020.47 | 15 | (3) - सह. संस्थाओं के अंश | 422515000.00 |
| 0.00 | 16 | (4) - अन्य विनियोग | 1502000.00 |
| 664399197.83 | 17 | 5 - राज्य भागीदारी मूल/सहायक पूँजी में विनियोग/अंशपूँजी से | 0.00 |
| - | 18 | (1) - केन्द्रीय सहकारी बैंक | - |
| - | 19 | (2) - प्राथ. कृषि साख संस्थाएँ | - |
| - | 20 | (3) - अन्य संस्थाएँ | - |
| 11927617877.14 | 21 | 6 - ऋण/अग्रिम | 13093686003.89 |
| 11232112020.47 | 22 | (1) - अल्पा. के. के. अधिविकर्ष/बिल्स डिस्काउन्ट उसमें से सुरक्षित | 12594275496.12 |
| 0.00 | 23 | अ - शासन एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से | - |
| - | 24 | ब - अन्य ठोस प्रतिभूति से | - |
| - | 25 | इसमें से व्यक्तिगत ऋण | - |
| - | 26 | इसमें से कालातीत | - |
| - | 27 | इसमें से संदिग्ध | - |
| 664399197.83 | 28 | (2) - मध्यावधि ऋण | 469240355.65 |
| - | 29 | अ - शासन एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से | - |
| - | 30 | ब - अन्य ठोस प्रतिभूति से | - |
| - | 31 | इसमें से व्यक्तिगत ऋण | - |
| - | 32 | इसमें से कालातीत | - |
| - | 33 | इसमें से संदिग्ध | - |

| राशि 31.03.21 | क्र. | सम्पत्ति एवं लेनदारियाँ | राशि 31.03.22 | राशि 31.03.22 |
|----------------|------|--|----------------|----------------|
| 31106658.84 | - | (3) - दीर्घावधि ऋण | 30170152.12 | - |
| - | - | अ - शासन एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से | - | - |
| - | - | ब - अन्य ठोस प्रतिभूति से | - | - |
| - | - | इसमें से व्यक्तिगत ऋण | - | - |
| - | - | इसमें से कालातीत | - | - |
| - | - | इसमें से संदिग्ध | - | - |
| - | - | (4) - ऋण राहत प्रोत्साहन राशि | 0.00 | - |
| - | - | अ - राज्य शासन | - | - |
| - | - | ब - केन्द्र शासन | - | - |
| 31923545.95 | - | 7 - ब्याज प्राप्त योग्य | 0.00 | 125957630.61 |
| - | - | अ - विनियोग पर | - | - |
| - | - | ब - गृह ऋण बैंक कर्म. | - | - |
| 31923545.95 | - | स - ऋणों पर | 125957630.61 | - |
| - | - | द - शासन से | - | - |
| - | - | इसमें से कालातीत | - | - |
| - | - | इसमें से संदिग्ध एवं डूबत | - | - |
| - | - | 8 - बिल्स रिसीवेबल | - | - |
| 604454.20 | - | 9 - शाखा समायोजन | 26730933.39 | 26730933.39 |
| 6701304.45 | - | 10 - भवन | 6498568.45 | 6498568.45 |
| - | - | पुस्तक मूल्य | 16486156.20 | - |
| - | - | डिप्रिसिएशन (-) 9987587.75 | - | - |
| 6667421.68 | - | (अ) - फर्नीचर एवं फिक्स्स | 7595166.77 | 7595166.77 |
| - | - | पुस्तक मूल्य | 24684232.91 | - |
| - | - | डिप्रिसिएशन (-) 17089066.14 | - | - |
| 4295952.24 | - | (ब) - मशीनरी एवं वाहन | 2467462.06 | 2467462.06 |
| - | - | पुस्तक मूल्य | 15895202.44 | - |
| - | - | डिप्रिसिएशन (-) 13427740.38 | - | - |
| 106789.64 | - | (स) - कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर | 125289.95 | 125289.95 |
| - | - | पुस्तक मूल्य | 10715131.07 | - |
| - | - | डिप्रिसिएशन (-) 10589841.12 | - | - |
| 308409766.05 | - | 11 - अन्य सम्पत्तियाँ | 605213896.48 | 605213896.48 |
| 16360147262.54 | योग | | 19269018855.10 | 19269018855.10 |

हस्ता/-
प्रबंधक लेखा
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

हस्ता/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

हस्ता/-
प्रशासक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

| राशि 31.03.21 | क्र. | पूँजी एवं देनदारियाँ | राशि 31.03.22 | राशि 31.03.22 |
|---------------|------|---|---------------|---------------|
| 300000.00 | - | 4 - पारितोषिक कोष | 300000.00 | - |
| 8124899.55 | - | 5 - कर्म. सामान्य लाभ निधि | 7957706.55 | - |
| 110933.00 | - | 6 - समिति गोदाम | 110933.00 | - |
| 300000.00 | - | 7 - स्टॉक एवं फर्नीचर निधि | 300000.00 | - |
| 1511000.00 | - | 8 - उपभोग ऋण रिस्क फण्ड | 1511000.00 | - |
| 100000.00 | - | 9 - खेलकूद/सांस्कृतिक निधि | 100000.00 | - |
| 5000000.00 | - | 10- कम्प्यूटर राईजेशन (नाबार्ड सहायत राशि) | 5000000.00 | - |
| 3196152.00 | - | 11 - अमानत ग्यारन्टी कोष | 3279054.00 | - |
| 86436.00 | - | 12 - कॉर्पोरेटिव रिजर्व डेवलपमेंट | 417162.00 | - |
| - | 3 | राज्य भागीदारी पूँजी/सहायक पूँजी में | - | - |
| - | - | 1-केन्द्रीय सहकारी बैंक विनियोग/अंशपूँजी में | - | - |
| - | - | 2 - प्राथमिक सहकारी सोसायटी | - | - |
| - | - | 3 - अन्य समितियाँ | - | - |
| 6980844368.19 | 4 | अमानतें एवं अन्य खाते | - | 9030656463.86 |
| 3221253883.78 | - | (1) - मियादी अमानतें | 3228711504.89 | - |
| 2514435869.62 | - | अ - व्यक्तिगत | 2481833339.46 | - |
| 333198098.43 | - | ब - केन्द्रीय सहकारी बैंक | 388060063.00 | - |
| 373619915.73 | - | स - अन्य समितियाँ | 358818102.43 | - |
| 3710664571.71 | - | (2) - सेविंग अमानतें | 5758373368.72 | - |
| 2814879584.61 | - | अ - व्यक्तिगत | 4164618614.51 | - |
| 716368866.38 | - | ब - केन्द्रीय सहकारी बैंक | 222007055.66 | - |
| 179416120.72 | - | स - अन्य समितियाँ | 1371747698.55 | - |
| 48925912.70 | - | (3) - चालू अमानतें | 43571590.25 | - |
| 20631070.89 | - | अ - व्यक्तिगत | 24643817.93 | - |
| 10810631.00 | - | ब - केन्द्रीय सहकारी बैंक | 11300198.69 | - |
| 17484210.81 | - | स - अन्य समितियाँ | 7627573.63 | - |
| 6969779642.00 | 5 | उधार ग्रहण/ऋण | - | 7546769642.00 |
| - | - | (1) - रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/नाबार्ड राज्य सह. बैंक | - | - |
| - | - | अ - अल्पा. के.के. अधिविकर्ष जो प्रतिभूत है | - | - |
| 6969100000.00 | - | (1) - शास. एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित | 7546100000.00 | - |
| - | - | (2) - मियादी अमानत तारण ऋण अपैक्स बैंक | - | - |
| - | - | ब - मध्यावधि ऋण जो प्रतिभूत है | - | - |
| - | - | (1) - शास. एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | - | (2) - अन्य ठोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| 669642.00 | - | (3) - आई.सी.डी.पी. | 669642.00 | - |
| - | - | (4) - एन.सी.डी.सी (कम्प्यूटर क्रय) | - | - |
| 0.00 | - | (5) - कनवर्सन | 0.00 | - |
| - | - | स - दीर्घावधि ऋण जो प्रतिभूत है | - | - |
| - | - | (1) - शास. एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर
लाम हानि पत्रक वर्ष 2021-22 (आय)

| क्र | व्याज प्राप्त किया | मद | राशि |
|-----|-------------------------------|--------|---------------|
| अ | | | |
| 1 | संस्थाओं / व्यक्तिगत ऋणों पर | | 1069066410.89 |
| 2 | गृह ऋण बैंक कर्मचारी पर | | 99989.00 |
| 3 | विनियोग पर | | 160656989.37 |
| 4 | शाखा अकाउन्ट पर | | 620844420.64 |
| 5 | प्रधान कार्यालय खाते | | 0.00 |
| | | योग | 185067809.90 |
| ब | | | |
| 1 | अन्य आय | | |
| 2 | कमीशन | | 10351783.27 |
| 3 | लाकर किराया | | 513510.00 |
| 4 | भवन किराया (दुकान बैंक परिसर) | | 120588.00 |
| 5 | पोस्टेज आय | | 522.00 |
| 6 | अग्रिम आयकर | | 0.00 |
| | | | 19930015.30 |
| | | योग | 30916418.57 |
| | | महायोग | 1881584228.47 |

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर
लाम हानि पत्रक वर्ष 2021-22 (व्यय)

| क्र | व्याज दिया | मद | राशि |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| (A) | | | |
| 1 | चालू अमानतों पर | | 0.00 |
| 2 | सेविंग अमानतों पर | | 154070597.65 |
| 3 | रेकरिंग अमानतों पर | | 1460983.12 |
| 4 | म्यादी अमानतों पर | | 224116697.31 |
| 5 | स्पेशल रिजर्व फण्ड पर | | 0.00 |
| 6 | ऋणों पर | | 368085106.30 |
| 7 | अन्य कोष / ब्याज अनुदान सहायता | | 97661581.00 |
| 8 | प्रधान कार्यालय खातों पर (शाखाओं को) | | 620844420.64 |
| | | योग | 1466239386.02 |
| (B) | | | |
| 1 | प्रावधान | | |
| 2 | ब्याज अनुदान सहायता राशि प्रावधान | | 0.00 |
| 3 | सदस्य एवं ड्यूट कोष | | 237800000.00 |
| 4 | कालातीत ब्याज रिजर्व प्रावधान | | |
| 5 | इनकम टैक्स प्रावधान | | 1956711.00 |
| 6 | नेट बैलेसिंग प्रावधान | | 4221289.67 |
| | | रिकंसीलेशन लंबित इंटी | 817294.00 |

| राशि 31.03.21 | क्र. | पूजी एवं देनदारियाँ | राशि 31.03.22 | राशि 31.03.22 |
|----------------|------|---|----------------|----------------|
| 10000.00 | - | (2) - अन्य टोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | - | (2) - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से | - | - |
| - | - | अ - अल्पा. के.के. अधिविकर्ष | - | - |
| - | - | (1) - शासकीय प्रतिभूति से | - | - |
| - | - | (2) - अन्य टोस प्रतिभूत से | - | - |
| - | - | ब - मध्यावधि जो प्रतिभूत है | - | - |
| - | - | (1) - शासकीय प्रतिभूति से | - | - |
| - | - | (2) - अन्य टोस प्रतिभूत से | - | - |
| - | - | स - दीर्घावधि जो प्रतिभूत है | - | - |
| - | - | (1) - शासकीय प्रतिभूति से | - | - |
| - | - | (2) - अन्य टोस प्रतिभूत से | - | - |
| - | - | (3) - राज्य शासन से | - | - |
| - | - | अ - अल्पावधि ऋण जो प्रतिभूत है | - | - |
| - | - | (1) - राज्य एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | - | (2) - अन्य टोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | - | ब - मध्यावधि जो प्रतिभूत है | - | - |
| - | - | (1) - राज्य एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | - | (2) - अन्य टोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | - | स - दीर्घावधि जो प्रतिभूत है | - | - |
| - | - | (1) - राज्य एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | - | (2) - अन्य टोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित | - | - |
| - | 6 | बिल्ल फॉर कलेक्शन | - | - |
| 0.00 | 7 | शाखा समायोजन | 0.00 | 0.00 |
| 79363702.37 | 8 | कालातीत ब्याज प्रावधान एवं अन्य प्रावधान | 79363702.37 | 79363702.37 |
| 223648201.23 | 9 | ब्याज देय | - | 231736302.96 |
| 223648201.23 | | (1) - अमानतों पर | 231736302.96 | - |
| | | (2) - उधार ग्रहण पर | - | - |
| 252336229.92 | 10 | अन्य देनदारियाँ | 230866116.14 | 230866116.14 |
| 70926453.20 | 11 | लाम - हानि | - | 46877929.21 |
| - | - | लाम विभाजन बेलेंस शीट | - | - |
| 49166221.20 | - | लाम विभाजन शेष | 41923958.19 | - |
| 21760232.00 | - | लाम इस वर्ष का | 4953971.02 | - |
| 49399996.70 | 12 | आकस्मिक देनदारियाँ | - | 78735965.63 |
| 0.00 | - | 1 - ग्यारंटी अनुसार | - | - |
| 49399996.70 | - | 2 - अन्य (केश क्रेडिट जमा बेलेंस) | 78735965.63 | - |
| 16360147262.54 | | योग | 19269018855.10 | 19269018855.10 |

हस्ता/-
प्रबंधक लेखा
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

हस्ता/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

हस्ता/-
प्रशासक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

| क्र | मद | राशि |
|-----|--|---------------|
| (G) | भवन मरम्मत/छीजन | |
| 1 | भवन मरम्मत/पुताई/अन्य | 968644.00 |
| 2 | छीजन (कर्नाचर/भवन) | 2035476.14 |
| 3 | छीजन कम्प्यूटर/मशीनरी | 1390453.72 |
| | योग | 4394573.86 |
| (H) | अंकेक्षण शुल्क | 2002500.00 |
| (I) | कानूनी सलाहकार फीस | 233980.00 |
| (J) | फार्म छपाई/विज्ञापन/स्थानरी | |
| 1 | फार्म छपाई | |
| 2 | स्थानरी | 1282456.41 |
| 3 | विज्ञापन/प्रचार प्रसार | 127080.00 |
| | योग | 1409536.41 |
| (K) | केडर फण्ड कान्ट्रीब्यूशन | 0.00 |
| (L) | भत्ता प्रवास व्यय संचालक गण/आमसभा व्यय | 0.00 |
| 1 | भत्ता प्रवास व्यय संचालक गण | 0.00 |
| 2 | आमसभा व्यय | 39082.00 |
| | योग | 39082.00 |
| (M) | प्रबंध व्यय | |
| 1 | जनरल चार्जस | 2896885.14 |
| 2 | स्वागत व्यय | 1144460.23 |
| 3 | समाचार पत्र/लाइब्रेरी | 163741.00 |
| 4 | जीप व्यय | 3059358.96 |
| 5 | चंदा जिला संघ/राज्य संघ/बैंक एसोसिएशन | |
| 6 | इनकम टैक्स | 900096.54 |
| 7 | पेरीसिएबल | 569124.48 |
| 8 | अंशदान कर्मचारी कल्याण निधि | 406845.00 |
| 9 | IGST | 3734663.12 |
| 10 | CGST | 1063888.01 |
| 11 | SGST | 1059739.33 |
| 12 | अन्य व्यय | 591726.15 |
| 13 | प्रिमियम फण्ड पर ब्याज दिया | 4537972.22 |
| 14 | स्वास्थ्य/खेलखूद | 260.00 |
| | योग | 20128760.18 |
| | कुल व्यय योग | 1876630257.45 |
| | वर्ष का लाभ | 4953971.02 |
| | कुल व्यय योग | 1881584228.47 |

हस्ता/-
प्रबंधक लेखा
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

हस्ता/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

हस्ता/-
प्रशासक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्या. शाजापुर

| क्र | मद | राशि |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 7 | सन्डीडेटर्स 3 वर्ष से अधिक | 2112908.66 |
| | योग | 246908203.33 |
| (C) | स्थापना व्यय | |
| 1 | वेतन | 84866315.08 |
| 2 | महंगाई | 12230798.00 |
| 3 | आवास भत्ता | 869783.00 |
| 4 | चिकित्सा भत्ता | 419742.00 |
| 5 | मोटर साइकिल अलाउन्स | 36446.00 |
| 6 | क्लोजिंग अलाउन्स | |
| 7 | केश अलाउन्स | 9530.00 |
| 8 | वाशिंग अलाउन्स | 14121.00 |
| 9 | गुप बीमा अंशदान | 66073.00 |
| 10 | भविष्य निधि चंदा | 10756849.00 |
| 11 | एक्टिंग अलाउन्स | 0.00 |
| 12 | यात्रा भत्ता व्यय | 198591.80 |
| 13 | विकलांग भत्ता | 1800.00 |
| 14 | शिपिंग अलाउन्स | 600.00 |
| 15 | कन्वीनियन्स अलाउन्स | 22440.00 |
| 16 | फिक्स अलाउन्स पर्यवेक्षक | 0.00 |
| 17 | डुप्लिकेटिंग अलाउन्स | 0.00 |
| 18 | स्टेनो अलाउन्स | 0.00 |
| 19 | लिक्ड सेलेरी अंशदान | 195857.00 |
| 20 | लिक बीमा | 0.00 |
| 21 | प्रशासनिक व्यय | 453345.00 |
| 22 | ग्रजूटी कर्मचारी | 130521.00 |
| 23 | प्रशिक्षण शुल्क | 40000.00 |
| 24 | बोनस | 0.00 |
| 25 | चोकीदार अलाउन्स/अन्य | 0.00 |
| | योग | 110314811.88 |
| (D) | कम्प्यूटर | |
| 1 | कम्प्यूटर | 7377481.88 |
| | योग | 7377481.88 |
| (E) | भवन किराया/कर/बीमा/विद्युत व्यय | |
| 1 | भवन किराया | 1351142.00 |
| 2 | टेक्स | 69939.00 |
| 3 | जल विद्युत व्यय | 1964351.81 |
| 4 | बीमा प्रिमियम | 13915661.90 |
| 5 | क्ली.हाउस किराया | 0.00 |
| | योग | 17301094.71 |
| (F) | टेलीफोन/डाकतार | |
| 1 | टेलीफोन व्यय | 234961.48 |
| 2 | डाकतार व्यय | 45885.70 |
| | योग | 280847.18 |

14 Scheme No. 53,
Apollo Premier Service Road,
Vijay Nagar, INDORE (M.P.).
Ph : 0731-4065159
e-mail: kkcold@gmail.com

K. K. & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

में निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षण प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विभाग के अंकेक्षण अधिकारी, निरीक्षण एवं सब ऑडिटर से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर पंजीयन क्रमांक 03 दिनांक 19.07.1918 है तथा जो जिला शाजापुर एवं आगर मालवा में है, का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियां अधिनियम सहकारी समितियों मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है। बैंक को पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक कार्यालय में उपलब्ध है।

मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर का 31 मार्च 2022 तक की स्थिति पर विवरण पत्रक लाम-हानि पत्रक जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखाओं कसे संबंधित है कि प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रमाणित लेखाओं के आधार पर जांच की गयी जो कि इन पत्रकों से सम्मिलित किये गये है। अतः मेरे मत के अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपों, लेखांक नीतियों एवं परिवर्तन का ज्ञापन (MOC) को छोड़कर साथ पढ़ते हुए :- बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत् उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत पंजीयक सहकारी समितियां भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

1. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है। आवश्यक सभी जानकारी जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्शाते है उनका समावेश इनमे है। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध मे बताई गई तथा जो खातों में दर्शायी गयी है उनका समावेश इन पत्रों में है। आपतियाँ ऑडिट नोट में बताई गई है।



2, Satyam Apts., Madhav Club Road, Freeganj, Ujjain (M.P.) Ph.: (0734) 2557507, 2555220

2. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है। जो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी है वो ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित है।

3. बैंक का समस्त व्यवहार, व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है। इस वक्त बैंक मुख्यालय व शाखाओं ने प्रमाण पत्र भी जारी किया है और यह प्रमाणित किया है की बैंक द्वारा किए गए समस्त व्यवहार विधि समान है और आर बी आई / नाबाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार की गए है। विचलन के प्रकरणों मे MOC जारी की गयी है।

4. अंकेक्षण हेतु जो भी प्रपत्र बुलाये गये सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है।

5. लाम-हानि पत्रक शेष लाम का सही चित्रण करता है। लेकिन बैंक ने ऋण माफी के कालातीत ऋणों मे प्रावधान नाबाई के नियमनुसार नहीं किया है।

6. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक लाम-हानि पत्रक नियमों के अनुरूप नहीं बनाया गया है जिससे बैंक का मुनाफा रु. 12.30 करोड़ से ज्यादा दर्शाया जा रहा है।

7. नाबाई के परिपत्र क्रमांक/NB/DOS/HO.POL/431/11/2013-14 दिनांक 06.05.2013 द्वारा अंकेक्षण वर्गीकरण के निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक से अधिकतम 100 अंकों में 80.25 अंक प्राप्त होते है। अतएव बैंक को "अ" वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।

वर्ष 2021-2022 के लिये "अ" वर्ग की पुष्टि की जाती है

उप पंजीयक सहकारी सोसायटीयों जिला शाजापुर (म.प्र.)

For K.K. & Company
Chartered Accountants

(Manoj P. Gupta)
Partner

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी सस्थारे
उज्जैन, संभाग उज्जैन

संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र
क्रमांक/अंके./निर्गमन/303/दिनांक...3.01.8.122

ने उल्लेखित आक्षेपों एवं निर्देशों के पालन हेतु जारी

संयुक्त आयुक्त सहकारिता
उज्जैन संभाग, उज्जैन

राज्य सहकारी संघ द्वारा आऊटसोर्स कर्मचारियों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण सम्पन्न



उज्जैन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा दिनांक 24.09.2022 को कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स हेतु कार्य दायित्व विषय पर एक दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को उनके कार्य की जिम्मेदारी, कार्य निर्वहन प्रक्रिया, आधुनिक कम्प्यूटरीय ज्ञान प्रदान किया गया। श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, श्री विनोद कुशवाहा, प्रशिक्षक एवं श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। संघ के पूर्व प्राचार्य श्री ए.के. जोशी द्वारा कार्यालयीन कार्य निष्पादन एवं अतिथि व्याख्याता श्री आनंद अग्रवाल द्वारा कम्प्यूटर एडवांस टेक्नॉलाजी, साइबर सिक्योरिटी विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।



भोपाला दिनांक 20.9.2022 को कृषि ऊपज मण्डी समिति हरदा एवं सिराली के सुरक्षा गार्ड हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।



जबलपुर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दिनांक 20.9.22 को सेवा सहकारी समिति मर्यादित तिलहरी में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन समिति के प्रबंधक की अध्यक्षता में सफलता पूर्वक किया गया।



जबलपुरा सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर द्वारा दिनांक 21.09.2022 को जिला जबलपुर के अंतर्गत आदिम जाति सेवा समिति पड़रिया, प्रबंधक की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।



नौगांवा दिनांक 21/09/2022 को सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांवा द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित ज्यौराहा शाखा बारीगढ़ में एक दिवसीय शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय एवं समिति प्रबंधक श्री रोशन सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर धूपदीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में रोशन सिंह समिति प्रबंधक, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय, विक्रेता दीपेंद्र सिंह, चौकीदार महाप्रसाद यादव एवं सोसाइटी के सदस्य एवं गांव के सम्मानीय किसान एवं माताएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।



दिनांक 23.09.2022 को सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांवा द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित अम्भु शाखा बारीगढ़ में एक दिवसीय शिक्षा - शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय एवं समिति प्रबंधक इंदल सिंह ने धूपदीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय ने सभी सोसाइटी के सदस्य एवं कृषको का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। शिविर में समिति प्रबंधक श्री इंदल सिंह, प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय, सहायक विक्रेता श्री जयप्रकाश सिंह, विक्रेता श्री देवेन्द्र प्रतापसिंह, विक्रेता श्री सुरेशसिंह सहित अम्भु समिति के समस्त सदस्य एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे।



जबलपुरा दिनांक 20.09.2022 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति पाटन में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।